(329) (437)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प रीवा, म०प्र०
R. 5404-पी/16

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

Rs-30/-

समयलाल सिंह तनय श्री राम प्रसाद सिंह निवासी ग्राम भदैली, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र० - ---- आवेदक

बनाम

1-बबलू सिंह तनय अमीर सिंह {गोड़} निवासी ग्राम भदैली, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र०

2- शासन म०प्र० - ----- अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री मार्कण्डेय पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत 15-9-16

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्द आदेश दिनांक 30. 7. 2014 प्र. क्र. 45/अ-12/13-14, न्यायालय राजस्वनिरीक्षक मण्डल माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र०। अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959ई.।

======================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमियां भूमि नं० 374/3, 524/1, 766, 767 के स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी आवेदक समयलाल सिंह गोड़, निवासी ग्राम भदैली, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र० थे, लेकिन बन्दोवस्त की त्रुटि के वजह से म०प्र० शासन भूमि अंकित हो गई, जिसके सुधार हेतु आवेदक ने उपखण्ड अधिकारी महोदय सिंगरौली के यहां आवेदन पत्र धारा 89 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, लेकिन अनावेदक क्र. 1 द्वारा फर्जी रुप से अपने को भूमिस्वामी दर्ज कराकर सीमांकन आवेदन पत्र उक्त भूमियो का सीमांकन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया, तथा अनावेदक क्र. 1 के नाम भूमियो का सीमांकन अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कर दिया

[signature] Adv.

(329)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5404-II /2016 जिला–सिंगरौली

समयलाल सिंह/बबलू सिंह

(1)	(2)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0देव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील माड़ा के प्रकरण क्रमांक 45/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य